न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:— श्री मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 152/2013

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कालूराम पुत्र तिलोकराम जाति माली निवासी–सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		1. सुजाराम पुत्र केवलराम 2. बस्तीराम पुत्र केवलराम 3. खीवाराम पुत्र केवलराम 4. आईदेवी पुत्री केवलराम 5. कमलादेवी पुत्री केवलराम 6. डूंगाराम पुत्र तिलोकराम 7. वैनाराम पुत्र तिलोकराम 8. रामचन्द्र पुत्र दमाराम 9. लालाराम पुत्र दमाराम 10. लक्ष्मणराम पुत्र दमाराम जातियान माली निवासीगण सोजतसिटी जिला पाली (राज0) 11. तहसीलदार सोजत जिला पाली(राज0)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:—

1. श्री ताराचंद भाटी व देवेन्द्र व्यास अधिवक्ता वादीगण स्वयं उपस्थित।
2. श्री देवाराम परिहार व धर्मीचन्द देवासी एवं श्री कैलाश दवे अधिवक्तागण प्रतिवादीगण उपस्थित।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सोजत (पाली)

—: निर्णय :— दिनांक—30.10.2017

अधिवक्ता मय वादीगण ने राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा चक नम्बर । में रिवाईज सैटलमेन्ट के नये खसरा नम्बरान की कृषि भूमि स्थित है जिसके खसरा नम्बर 5887, 5887/6305, 5867, 5868, 5869, 5876, 5877, 5885,5886, 5887, 5888, 5888/6304, 5895, 5939, 5940 कुल किता खसरा 15 रकबा 1.4800 हैक्टर किस्म जाव अव्वल, चाही प्रथम, बंजड़, गै.मु. मकान की कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि स्वर्गीय तिलोकराम व स्व0 दमाराम पीसरान खेता की बहिस्सा बराबर हक हकूक खातेदारी की है। तिलोक व दमाराम का स्वर्गवास हो चुका है उनकी वंशावली मे मूल पुरूष खेता के दो वारिसान तिलोकराम फौत व दमाराम फौत के 1/2 –1/2 हिस्से में बराबर खातेदारी जिसमें से तिलोकराम के वंशज केवलराम (फौत), डूंगाराम (प्र0सं0 6), कालूराम (वादी), वेनाराम (प्र.सं. 7) विद्या, रतिया हुऐ। केवलराम(फौत) के वंशज सुखिया (पत्नी फौत), सुजाराम (प्र.स.1), बस्तीराम (प्र.सं.2), खीवाराम (प्र.स.3), आईदेवी (प्र.स.4), कमलादेवी (प्र.स.5) है तथा दमाराम के वारिसान लक्ष्मणराम (प्र.स.10), रामचन्द्र(प्र.स.8), लालाराम (प्र.स.9) है। उक्त वंशावली अनुसार तिलोकराम के वारीसान का 1/2 हिस्सा निहित हुआ है तथा स्वर्गीय दमाराम का 1/2 हिस्सा उनके वारिसान में निहित हुआ है। वादग्रस्त कृषि भूमि सैटलमेन्ट के पूर्व सम्वत् 2030 से 2033 की जमाबंदी अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के पिता दादा

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

स्व0 तिलोकराम का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 8 व 10 के पिता दमाराम का 1/2 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदसुदा था। खेताजी के दो पुत्र तिलोकराम व दमाराम का वादग्रस्त आराजियात में 1/2, 1/2 हक हिस्सा खातेदारी का आता है। तिलोकराम के स्वर्गवास के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पिता केवलराम व डूंगाराम प्रतिवादी सख्या 6 वेनाराम प्रतिवादी संख्या 7 स्व0 तिलोकराम के वारिसान है। केवलराम की पत्नी सुखियादेवी व केवलराम दोनो फौत हो चुके है। उक्त वंशावली अनुसार स्व0 तिलोकराम की पुत्रीयां रतियादेवी व विद्यादेवी ने स्व0 तिलोकराम के पुत्र डूंगाराम, कालूराम, वैनाराम पीसरान तिलोकराम व केवलराम फौत होने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकतर्कनामा दिनांक 16.02.2010 को हकतर्क कर दिया है तथा राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण संख्या 2893 दिनांक 09.04.2010 से उक्त हकतर्कनामा अनुसार रेकर्ड मे अमल दरामद हो चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का 1/8 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 का 1/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 10 का 1/6 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण में आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है तथा सहमति अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर काश्त करते आये है। वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिक बंटवाड़ा आज दिन तक नही हुआ है तथा विधिक बंटवाड़ा नही होने से वादग्रस्त कृषि भूमि आज भी संयुक्त जोत व संयुक्त खातेदारी की राजस्व रेकर्ड मे चली आ रही है। वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिक बंटवाडा नही होने से वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में सामिलाती दर्ज है तथा जमाबंदी में हिस्से भी इन्द्राज नही है जिससे हर समय धोरापाली माट इत्यादि को लेकर विवाद बना रहता है। वादी द्वारा दिनांक 29.05.2013 को वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिक बंटवाड़ा का कहने पर प्रतिवादीगण साफ इन्कार हो गये। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा विधिक बंटवाडा करने से इन्कार हो जाने के कारण वादी अपने 1/8 हिस्सा माप व सीमाकंन से बंटवाडा करवाकर अलग से अपने हिस्से का राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद करवाने व राजस्व नक्शे में अलग से तरमीम करवाने के अधिकारी है तथा वादी अपना 1/8 हिस्सा का अलग से कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी करने के अधिकारी नही है तथा विधिक विभाजन हुए बिना वादग्रस्त कृषि भूमि के किसी भी विशिष्ठ भू–भाग को बेचान, रहन व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण करने का अधिकार भी प्रतिवादीगण को नही है। वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। अतः वाद बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 29.05.2013 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को विधिक बंटवाडा का कहने पर इन्कार हो जाने से वादी द्वारा दिनांक 30.05.2013 को पाली से राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी होने पर बमुकाम सोजत सिटी पैदा हुआ जो अन्दर म्याद पेश किया है। इस प्रकार अधिवक्ता वादीगण ने वाद–पत्र मय शपथ –पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने की ईशतदुआ की है। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 जरिए सम्मनस तलब किया गया। प्रति0 सं0 1 से 10 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश दवे व श्री धर्मीचन्द देवासी ने वकालतनामा दि0 30.08.2013 को पेश किया, सा0मि0 किया गया।

न्यायालय हाजा में उभयपक्ष द्वारा दिनांक 11.03.2015 को लोक अदालत की भावना से प्रकरण का निस्तारण कराने का निवेदन किया। इस पर उभय पक्ष अभिभाषक को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकरण विभाजन से संबधित है तथा उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत है। अतः उभय पक्ष की सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री इस आमर की सादिर की गई है कि मौजा सोजत चक प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के खसरा नम्बर 5857, 5857/6305, 5867, 5868, 5869, 5876, 5877, 5885,5886, 5887,

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

5888, 5888/6304, 5895, 5939 व 5940 कुल खसरा 15 जिसका कुल रकबा 1.4800 हैक्टर की भूमि में वादी कालूराम पुत्र तिलोकराम का 1/8 हिस्सा, सुजाराम, बस्तीराम, खीवाराम पि0 केवलराम, आईदेवी, कमलादेवी पुत्रियां केवलराम का 1/8 हिस्सा, डूंगाराम पुत्र तिलोकराम का 1/8 हिस्सा, वेनाराम पुत्र तिलोकराम का 1/8 , रामचन्द्र पुत्र दमाराम 1/6 हिस्सा तथा लक्ष्मणराम पुत्र दमाराम का 1/6 हिस्सा के अनुसार मौके पर By Meets and Bounds विभाजन करके विभाजन प्रस्ताव तथा नजरी नक्शा पृथक से तैयार कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व इस न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए गए। तहसीलदार सोजत को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के अध्याय 4 के नियम 18 से 21 की पालना करके अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नजरी नक्शा मंगवाई गई। तहसीलदार, सोजत के पत्रांक/राजस्व/16/248 दिनांक 01.07.2016 द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सामिल मिसल किया गया।

बहस वकुलाय अन्तिम विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पर सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वाद डिकी किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की है जिसकी स्वीकारोक्ति अधिवक्ता प्रति0 ने भी व्यक्त की है। लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिकी किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा–सोजत चक। तहसील–सोजत में स्थित कृषि भूमि ख0नं0 5857, 5857/6305, 5867, 5868, 5869, 5876, 5877, 5885,5886, 5887, 5888, 5888/6304, 5895, 5939, 5940 कुल किता 15 रकबा 1.4800 हैक्टर किस्म जाव अव्वल, चाही प्रथम, बंजड़, गै.मु. मकान की कृषि भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में निम्नांकित रूप से बंटवाड़ा किया जाता है:–

क्र0 स0	खातेदार वल्दियत कौम साकिन देह खातेदार	ख0 नं0	रकबा(है0)	किस्म	लगान
1	रामचंद, लक्ष्मणराम,लालाराम पि0 दमाराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	5857/6305	0.1000	चा0प्र0जाव बंजड़	
		5867	0.0500	चा0प्र0	
		5869	0.0500	चा0प्र0	
		5876	0.1200	चा0प्र0 बंजड़	
		5887	0.2300	चा0प्र0	
		5888	0.0600	चा0प्र0बंजड़	
		5939	0.0600	चा0प्र0बंजड़	
	योग:–	07	0.6700		22.86रू
2	सुजाराम, बस्तीराम, खीवाराम पि0	5868	0.0600	चा.प्र0	

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

	केवलराम आईदेवी, कमलादेवी पुत्रियां केवलराम सुखीयादेवी पत्नि केवलराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	5886	0.1000	चा.प्र0बंजड	
		5888/6303	0.0500	चा.प्र0बंजड़	
	योगः–	03	0.2100		08.02रू
3	डूंगाराम पुत्र तिलोकराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	5857	0.1100	चा0प्र0	
		5940	0.0350	जाव अ0चा0प्र0	
	योगः–	02	0.01450		5.28रू
4	कालूराम पुत्र तिलोकराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	5877	0.1300	चा0प्र0	
		5940/1	0.0350	चा0प्र0	
	योगः–	02	0.1650	चा0प्र0	6.60रू0
5	वेनाराम पि0 तिलोकराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	5885	0.1500	चा0प्र0	6=00रू0
6	रामचंद, लक्ष्मणराम, लालाराम पि0 दमाराम 1/2 सुजाराम वस्तीराम खीवांराम पि0 केवलराम आई देवी, कमलादेवी पुत्रियां केवलराम, सुखीया देवी पत्नि केवलराम 1/8 डूंगाराम पुत्र तिलोकराम 1/8 कालूराम पुत्र तिलोकराम 1/8 वेनाराम पुत्र तिलोकराम 1/8 कौम माली सा0 देह खातेदार।	5895	0.1400	गै0मु0 मकान	

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल बरामद राजस्व नक्शे में तरमीम किया जावें। डिकी पर्चा पृथक से मुर्तिब किया जावें। तहसीलदार, सोजत का निर्णय एवं डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे की प्रतिलिपि भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतरी लेख भण्डार जमा हो।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)

यह निर्णय आज दिनांक 30.10.2017 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
(जिला–पाली)